

न्यायालय :- वाचस्पति मिश्र, प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
श्रृंखला न्यायालय - बैहर

S.T.No./5/2017

Filling No. ST/49/2017

CNR-MP5005-000-152-2017

संस्थित दिनांक-12.05.2016

म0प्र0 शासन द्वारा:- आरक्षी केन्द्र-बैहर

जिला-बालाघाट (म0प्र0) - - - - - अभियोजन ।

// / विरुद्ध // /

संजु मरावी पिता श्री रमलू मेरावी उम्र 24 साल जाति गोण्ड
निवासी-चालीस क्वार्टर वार्ड नं. 08 थाना व तहसील बैहर
जिला-बालाघाट (म0प्र0) - - - - - अभियुक्त ।

=====

श्री अभिजीत बापट, अपर लोक अभियोजक वास्ते अभियोजन ।
श्री डी.आर.बिसेन अधिवक्ता वास्ते अभियुक्त-संजु मेरावी ।
=====

::: निर्णय :::

(आज दिनांक 27 अप्रैल 2018 को घोषित)

1. आरोपी के विरुद्ध यह आरोप है कि घटना दिनांक 28.01.2012 को दिन के लगभग 1:00 बजे वार्ड नंबर 08 चालीस क्वार्टर बैहर अंतर्गत थाना बैहर जिला बालाघाट में अवयस्क अभियोक्त्री (जिसका नाम रेसियो *Bhupendra Sharma v/s Himachal Pradesh, AIR 2003 Supreme Court 4684* तथा *Section 228 A of IPC, 327 (2) (3) of Cr.P.C.*) के परिप्रेक्ष्य में नहीं लिखा जा रहा है जिसे कि आगे अभियोक्त्री से सम्बोधित किया जाएगा) को उसके प्राकृतिक संरक्षक की अनुमति के बिना उसे बैहर से अन्यत्र जबलपुर ले जाया जाकर व्यपहरण कारित किया एवं उक्त अवधि में यह जानते हुए कि उसे अयुक्त संभोग के लिये विवश किया जाएगा अथवा उससे शादी करने के आशय से ले जाया जाकर व्यपहरण कारित किया ।

2. अभियोजन का मामला यह है कि घटना दिनांक 28.01.12 को अभियोक्त्री कन्या शाला बैहर में कक्षा आठवीं की छात्रा थी तथा

दिनांक 28.01.12 को अपने घर से लेट्रिन के लिये बाहर गई थी तथा बाद में वापस नहीं लौटी। तत्संबंध में उसके अभिभावक मोहम्मद ईस्माईल ने आरक्षी केन्द्र बैहर में मिसिंग की रिपोर्ट दर्ज करायी थी तथा पुलिस द्वारा भा0द0वि0 की धारा 363 के अंतर्गत माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्देश के तारतम्य में मामला प्र.पी. 9 दर्ज किया गया। बाद में अभियोक्त्री 3 साल बाद आरोपी के साथ दस्तयाब की गई, तथा पुलिस द्वारा दस्तयाबी पंचनामा प्र.पी.1 दिनांक 28.09.15 को एस.डी.ओ. पी. कार्यालय बैहर में निष्पादित किया गया एवं सुपुर्दगी कार्यवाही प्र.पी. 2 के द्वारा की गई तथा अभियोक्त्री को मेडिकल परीक्षण हेतु प्रेषित कर रिपोर्ट प्राप्त की गई, विवेचना के दौरान आरोपी को भी अभिरक्षा में लिया जाकर उसका मेडिकल परीक्षण कराया गया। उक्तानुसार सम्यक् विवेचना कर अभियोग पत्र ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया, वहां से प्रकरण माननीय सत्र न्यायालय को उपार्पण कर अंतरण पश्चात् इस न्यायालय में प्रेषित किया गया।

3. चार्ज की स्टेज पर अभियुक्त ने उक्त अपराध से अस्वीकार किया है यह आधार लिया गया है कि आरोपी ने अभियोक्त्री के साथ दिनांक 22.01.15 को ए.डी.एम. बालाघाट के न्यायालय में विवाह किया गया है, इस संबंध में दस्तावेजी प्रमाण पत्र पेश किया गया है।

4. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि:-

1. क्या घटना दिनांक 28.01.2012 को अभियोक्त्री अधिनियम के अधीन अवयस्क थी ?
2. क्या उक्त दिनांक को आरोपी ने अवयस्क अभियोक्त्री को उसके अभिभावक की सम्मति के बिना बैहर से जबलपुर ले जाकर व्यपहरण कारित किया ?
3. क्या आरोपी ने दिनांक 28.01.12 से 29.09.15 के मध्य शादी करने के आशय से अथवा यह जानते हुए कि उसे अयुक्त संभोग के लिये विवश किया जाएगा, बैहर से जबलपुर ले जाकर व्यपहरण कारित किया ?

अवधार्य प्रश्न क्रमांक-1, 2 एवं 3 का एक साथ निष्कर्ष :-

5. अभियोक्त्री (अ.सा.-1) ने आरोपी की पहचान स्थापित किया। अपने बयान के कंडिका क्रमांक 1 में यह व्यक्त किया है कि दिनांक 22.01.2015 के लगभग तीन दिन पूर्व उसने अपने अभिभावक का घर छोड़ दिया था। आगे यह व्यक्त किया है कि दिनांक 22.01.2015 को कलेक्टर कार्यालय में आरोपी से शादी की थी। यह भी व्यक्त किया है कि उक्त शादी से उसके अभिभावकगण सहमत नहीं थे। बयान की कंडिका 2 में व्यक्त किया है कि बाद में दिनांक 28.09.2015 को एस.डी. ओ.पी. कार्यालय बैहर में उसे दस्तयाब कर दस्तयाबी पंचनामा प्र.पी. 1 निर्मित किया जाना व्यक्त किया है तथा सुपुर्दगी पंचनामा 2 पर अपने हस्ताक्षर होना व्यक्त किया है। लेकिन उक्त कार्यवाही के पश्चात् एस. डी.ओ.पी. ने उसे उसके अभिभावकगण के सुपुर्द नहीं किया तथा एस.डी. ओ.पी. कार्यालय से आरोपी के साथ वापस आ गई थी। साक्षी ने मेडिकल परीक्षण कराया जाना व्यक्त किया है। कंडिका 3 में व्यक्त किया है कि शादी के पूर्व आरोपी से कोई शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किया। शादी के बाद उसकी मर्जी से आरोपी से शारीरिक संबंध स्थापित किया है।

6. जिरह में स्पष्ट किया है कि प्र.डी. 1 के दस्तावेज के ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। यह भी स्पष्ट किया है कि उसने अपनी मर्जी से अभिभावकगण का घर त्याग किया है तत्पश्चात् आरोपी से शादी किया है। जिरह में साक्षी ने अपने पुलिस कथन प्र.डी. 2 के सारवान भाग को (Disown) अस्वीकार किया है। साक्षी ने यह स्पष्ट किया है कि मजिस्ट्रेड के समक्ष धारा 164 द.प्र.सं. के अंतर्गत कथन में उसने यह बताया था कि आरोपी उसे बहला-फुसलाकर नहीं ले गया था अर्थात् अभियोक्त्री के बयान में यह आया है कि दिनांक 22.01.2015 के तीन दिन पूर्व से उसने अपनी मर्जी से अभिभावक का घर अंतिम बार त्याग दिया था तथा स्थानीय मैरिज रजिस्ट्रार के समक्ष Special Marriage Act के तहत आरोपी से शादी किए जाने का तथ्य सामने आया है अथवा अभियोक्त्री के बयान में आरोपी के विरुद्ध कोई फंसाने

वाला Incriminating तथ्य मौजूद नहीं है।

7. इसके विपरीत श्रीमती ताज बी (अ.सा.-3) अभियोक्त्री के अभिभावक ने व्यक्त किया है कि घटना दिनांक को अभियोक्त्री लैट्रिन के बहाने घर से बाहर चली गई थी। बाद में अभियोक्त्री सुनसान जगह पर आरोपी के साथ मिली थी जहाँ से वह अभियोक्त्री को वापस लेकर आयी थी। अभियोक्त्री 6 दिन संयुक्त रूप से रही फिर पुनः अभियोक्त्री भाग गई थी बाद में बैहर पुलिस ने अभियोक्त्री को दस्तयाब किया था, दस्तयाबी कार्यवाही की थी जिसपर साक्षी ने अंगूठा लगाया था।

8. श्रीमती ताज बी (अ.सा.-3) ने जिरह की कंडिका 5 में यह स्पष्ट किया है कि अभियोक्त्री ने उसे यह नहीं बताया था कि आरोपी ने उसे भगाकर ले गया था। साक्षी से आरोपी ने दिनांक 22.01.2015 को अभियोक्त्री से शादी किए जाने के संबंध में प्रश्न पूछे जाने पर अज्ञान दर्शाया है अर्थात् साक्षी के बयान में यह नहीं आया है कि अंतिम बार अभियोक्त्री अभिभावकगण के घर से किस तारीख को गई थी।

9. उक्त संबंध में डॉ. रश्मि बाघमारे (अ.सा.-2) ने अपने कथन में बतलाया है कि दिनांक 29.09.2015 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में महिला चिकित्सक के पद पर पदस्थ रहते हुए बैहर पुलिस द्वारा अभियोक्त्री को परीक्षण हेतु लाए जाने पर परीक्षण किए जाने पर उसके शरीर में कोई बाहरी चोट नहीं पायी थी। अभियोक्त्री के द्वितीयक लैंगिक लक्षण पूर्णतः विकसित थे, पेट नर्म था, योनि में दो उंगलियाँ आसानी से प्रवेश कर रही थी, हाईमन फटी थी, अभियोक्त्री संभोग करने की आदी थी। बलात्कार किए जाने के संबंध में कोई निश्चयक राय प्रकट नहीं किया है। परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 4 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। उक्त फार्मल रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन को कोई लाभ नहीं मिलता है।

10. डॉ. एन.एस. कुमारे (अ.सा.-4) ने अपने कथन में बतलाया है कि दिनांक 29.09.2015 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में चिकित्सा अधिकारी के पद पर पदस्थ रहते हुए थाना बैहर द्वारा आरोपी

संजू को परीक्षण हेतु लाए जाने पर परीक्षण करने पर आरोपी संभोग करने में सक्षम पाया था जिसकी सीमन स्लाइड तैयार कर, सीलबंद कर संबंधित आरक्षक को सौंप दिया था। परीक्षण रिपोर्ट प्र.पी. 5 पर ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष के द्वारा उक्त दोनों चिकित्सक साक्षी की रिपोर्ट को आक्षेपित नहीं किया गया है। अतः चिकित्सा अधिकारी द्वय के उक्त औपचारिक रिपोर्ट के आधार पर अभियोजन को कोई लाभ नहीं मिलता है।

11. इसके विपरीत निरीक्षक अजय कुमार नायर (अ.सा.-4), सहायक उप निरीक्षक रामभजन साहू (अ.सा.-5), राकेश कुमार देशमुख (अ.सा.-6) विवेचना से संबंधित फार्मल साक्षी है। निरीक्षक अजय कुमार नायर (अ.सा.-4) ने अपने कथन में बतलाया है कि दिनांक 05.01.2014 को थाना प्रभारी बैहर पर पदस्थ रहते हुए गुम इंसान क्रमांक 7/12, अपराध क्रमांक 6/14 धारा 363 भा.द.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध किया था, प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी. 9 है जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है।

12. सहायक उप निरीक्षक रामभजन साहू (अ.सा.-5) ने बतलाया है कि दिनांक 29.01.2012 को बैहर थाना में पदस्थ रहते हुए गुम इंसान क्रमांक 7/12 की डायरी प्राप्त होने पर जाँच के दौरान साक्षीगण के कथन उनके बताए अनुसार लेखबद्ध किया था। इसी प्रकार सैनिक राकेश कुमार देशमुख (अ.सा.-6) जप्ती का साक्षी है, ने बतलाया है कि महिला आरक्षक ममता द्वारा अभियोक्त्री की वैजार्नल स्लाइड थाना लाकर प्रस्तुत करने पर एस.डी.ओ.पी. द्वारा जप्त कर जप्ती पत्र प्र. पी. 6 निर्मित किया गया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है तथा आरक्षक जयहिंद सिंह चौहान द्वारा आरोपी संजू की सीमन स्लाइड थाना लाकर प्रस्तुत करने पर एस.डी.ओ.पी. द्वारा जप्त कर जप्ती पत्र प्र. पी. 7 निर्मित किया गया था जिसके ए से ए भाग पर अपने हस्ताक्षर होना प्रमाणित किया है।

13. प्रभारी प्राचार्य धूपसिंह पन्ध्रे (अ.सा.-8) ने अपने बयान में व्यक्त किया है कि वह ज्योति मांटेसरी माध्यमिक शाला बैहर का

दाखिलखारिज पंजी साथ लाया है। जिसके क्रमांक 912 में अभियोक्त्री का नाम दर्ज है। उक्त पंजी के अनुसार अभियोक्त्री की जन्म तिथी 26.08.1996 है। आगे यह व्यक्त किया है कि अभियोक्त्री ने उनके विद्यालय में कक्षा पहली में दिनांक 01 जुलाई 2004 को दाखिला लिया था। दाखिला पंजी प्र.पी. 10 है, फोटोप्रति प्र.पी. 10—सी है।

14. प्रभारी प्राचार्य धूपसिंह पन्द्रे ने जिरह में स्पष्ट किया है कि अभियोक्त्री से संबंधित जानकारी तब भरी गई थी उस समय वह उक्त विद्यालय में पदस्थ नहीं था। यह भी स्पष्ट किया है कि अभियोक्त्री की जन्मतिथि किस आधार पर दर्ज की गई वह आज नहीं बता सकता अर्थात् साक्षी ने अभियोक्त्री की जन्मतिथि को विद्यालय के दाखिल खारिज पंजी में दर्ज किए जाते समय आधारभूत दस्तावेज के संबंध में खुलासा नहीं किया है और न ही साक्षी ने अभियोक्त्री के विद्यालय में प्रवेश से संबंधित एडमिशन फार्म डिटेल् न्यायालय में प्रस्तुत किया है। अतः उक्त तथ्य अभियोजन के विरुद्ध जाता है।

15. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **Shyam And Another vs State Of Maharashtra on 31 January, 1995 Equivalent citations: AIR 1995 SC 2169** निम्न मत प्रतिपादित किया है :-

She was a fully grown up girl may be one who had yet not touched 18 years of age, but still she was in the age of discretion, sensible and aware of the intention of the accused-Shyam, that he was taking her away for a purpose. It was not unknown to her with whom she was going in view of his earlier proposal. It was expected of her then to jump down from the bicycle, or put up a struggle and, in any case, raise an alarm to protect herself. No. such steps were taken by her. It seems she was a willing party to go with Shyam-the appellant on her own and in that sense there was no 'taking' out of the guardianship of her mother. The culpability of neither Shyam, A-1 nor that of Suresh, A-2, in these circumstances, appears to us established. The charge against the appellants/accused under Section 366. I. P. C. would

thus fail.

16- हरियाणा राज्य बनाम राजाराम ए.आई.आर.

1973 सु०को० 819 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा यह निर्धारित किया गया कि इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि एक अवयस्क को ले जाने और उसके किसी व्यक्ति के साथ जाने में अंतर है यदि अवयस्क स्वयं अपनी स्वेच्छा से अपने पिता का धर छोड़ती है और ऐसा वह आरोपी द्वारा दिये गये प्रलोभन के बिना करती है जबकि आरोपी सिर्फ उसे अपनी संगत में आने की अनुमति देता है तब यह नहीं माना जा सकता कि आरोपी ने अवयस्क को उसे पिता की संरक्षकता में से प्रथक कर दिया था। **न्याय दृष्टांत:- 1980 क्रि.ला.रि. एम. पी. 333 काशीराम विरुद्ध म.प्र.शासन** में यह निर्धारित किया गया है कि अभियोक्त्री को अपने आप को फ्री करने की स्वतंत्रता थी और अपनी रुचि के स्थान पर लौट सकती थी उसने कोई शिकायत किसी से भी इधर-उधर जाने पर अपने निरोध के संबंध में नहीं की थी। तब उस स्थिति में यह उल्लेख किया गया कि अभियोक्त्री किसी के दबाव में नहीं थी। यह भी उल्लेख किया गया कि दबाव वास्तविक होना चाहिये काल्पनिक नहीं।

17- न्यायदृष्टांत:- एस. वर्दराजन बनाम मद्रास

राज्य ए.आई.आर. 1965 सु.को. 942 यह उल्लेख किया है कि अभियोक्त्री जो अवयस्क है अपनी मर्जी से आरोपी के साथ जाती है तब उस स्थिति में यह नहीं माना जा सकता कि अभियुक्त का आशय उसे उसके विधि पूर्ण संरक्षक की संरक्षकता में से ले जाने का था।

18- प्रस्तुत प्रकरण के अंतर्गत मेरे द्वारा निम्न न्याय दृष्टांत का अनुसरण किया गया है।

Jinish Lal Shah v. State of Bihar, (2003) 1 SCC 605 :-

The apex Court held that before an accused could be held guilty under sections 366 and 376 IPC, it must be proved that either the complainant was compelled to marry the accused against her will or forced to or induced to have intercourse against her will. for the purpose of kidnapping a woman to compel her to marry

under section 366, IPC and committing offence of rape under section 376 IPC, there should be material to establish that either the alleged marriage or the intercourse had taken place without the consent of the girl if she is below the age of 18 year or 16 years, as the case may be.

19. न्यायदृष्टांत :- सुनील बनाम हरियाणा

राज्य ए.आई.आर. 2010 सु0 को0 392 पैरा 29, 30, 31, 32, 33, 34 अवलोकनीय है। जिसमें यह मत प्रतिपादित किया गया है कि जहां पर अभियोक्त्री के अभिभावक द्वारा उसकी जन्मतिथि अनुमान के आधार पर बताई जाती है तो उक्त दशा में आरोपी को दोषसिद्ध नहीं ठहराया जा सकता।

20. अतः उपरोक्त वैधानिक स्थिति के प्रकाश में भी देखे तो यह प्रमाणित नहीं होता कि अभियुक्त ने अभियोक्त्री का कोई व्यपहरण या अपहरण किया, अभियोक्त्री की उम्र भी 18 वर्ष से कम प्रमाणित नहीं हुई है। वह आरोपी के साथ अपनी मर्जी से जाना व्यक्त किया है।

29. इस प्रकार अभियोजन, अभियुक्त पर आरोपित आरोपों को प्रमाणित नहीं कर पाया है। फलस्वरूप आरोपी संजू मेरावी को भा0द0वि0 की धारा 363, 366 के आरोपों से संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। उसके जमानत मुचलके भारमुक्त कर अपास्त किए जाते हैं।

30. मामले में जप्त संपत्ति मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट की जावे। अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के निर्णयानुसार संपत्ति का व्ययन किया जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित व दिनांकित कर
खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

दिनांक :- 27 अप्रैल 2018

मेरे बोलने पर मुद्रित।

Sd/-

(वाचस्पति मिश्र)

प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश, बालाघाट
शृंखला न्यायालय बैहर

Contd. -